भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3126
दिनांक 13, दिसम्बर 2024 को उत्तर के लिए

ओडिशा में सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0

3126. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ओडिशा में सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के कार्यान्वयन का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में इस योजना के तहत स्तरोन्नत किए गए आंगनवाड़ी केंद्रों और उन पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ओडिशा के आकांक्षी जिलों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ख): 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष) के लिए योजना को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। मिशन पोषण 2.0 का उद्देश्य बेहतर पोषण सामग्री और प्रदायगी के माध्यम से कुपोषण की चुनौती का समाधान करना है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

यह मंत्रालय वीडियो कॉन्फ्रेंस, बैठकों और ऑनलाइन पोषण ट्रैकर प्रणाली के माध्यम से ओडिशा राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निरंतर जुड़ाव के माध्यम से मिशन 2.0 के कार्यान्वयन की निरंतर निगरानी करता है।

इस मंत्रालय ने पूरक पोषण की प्रदायगी में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही के लिए गुणवत्ता आश्वासन, कर्तव्यधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियां, खरीद की प्रक्रिया, आयुष अवधारणाओं को

एकीकृत करने और "पोषण ट्रैकर" के माध्यम से डेटा प्रबंधन और निगरानी जैसे कई पहलुओं को कारगर बनाने के लिए दिनांक 13.01.2021 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

मंत्रालय द्वारा पोषण प्रदायगी सहायता प्रणालियों को सुदृढ़ करने और उनमें पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से शासन उपकरण के रूप में दिनांक 1 मार्च 2021 को 'पोषण ट्रैकर' एप्लिकेशन आरंभ किया गया था। पोषण ट्रैकर के अंतर्गत प्रौद्योगिकी का उपयोग (i) बच्चों में ठिगनापन, दुबलापन, अल्प वजन की समस्या की गतिशील पहचान और (ii) पोषण सेवा प्रदायगी की अंतिम लाभार्थी तक ट्रैकिंग के लिए किया जा रहा है। पोषण ट्रैकर सभी आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी), आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और लाभार्थियों की निर्धारित संकेतकों पर वास्तविक समय पर निगरानी और ट्रैकिंग सक्षम बनाता है। अंतिम लाभार्थी की ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों को आधार से जोड़ा जाता है। पोषण ट्रैकर मिशन पोषण 2.0 को डेटा तैयार करने, कार्यक्रम प्रबंधकों को फीडबैक प्रदान करने और पोषण संकेतकों पर योजना के प्रभाव के दस्तावेज तैयार करने में मदद करता है। मंत्रालय/राज्य/जिले ट्रैकर से प्राप्त आंकड़ों; प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से सतत मूल्यांकन और विभिन्न घटकों की प्रगति के आधार पर समय पर प्रभावी कार्यकलाप करने में सक्षम हो रहे हैं।

दिशा-निर्देशों के तहत, लाभार्थियों की पोषण स्थिति और गुणवत्ता मानकों की निगरानी के लिए जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को जिले में नोडल प्वाइंट के रूप में नामित किया गया है। प्रत्येक माह प्रगति की समीक्षा करने के लिए डीएम/कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रमाणित पोषण विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में शामिल करते हुए जिला पोषण समिति गठित की गई है।

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत, दो लाख चयनित आंगनवाड़ी केन्द्रों (प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केन्द्रों की दर से) को शिक्षा विकास कार्यक्रमों के साथ समन्वय करके 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रचनात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर पोषण वितरण हेतु सुदृढ़ और उन्नत किया जा रहा है।

आज तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1,70,337 आंगनवाड़ी केंद्रों (वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 41192, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 50916 और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 78229) को सक्षम आंगनवाड़ी में उन्नत करने की मंजूरी दी गई है जिनमें से ओडिशा राज्य में 10432 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी में उन्नत करने की मंजूरी दी गई है और इस उद्देश्य के लिए राज्य को 62.59 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

(ग): पोषण का अर्थ केवल भोजन करना नहीं है; इसके लिए उचित पाचन, अवशोषण और चयापचय की आवश्यकता होती है, जो स्वच्छता, शिक्षा और सुरक्षित पेयजल तक पहुंच जैसे कारकों से प्रभावित होते हैं। चूंकि कुपोषण से निपटने के लिए भोजन, स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता और शिक्षा जैसे बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है इसलिए कुपोषण की समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत 18 मंत्रालयों/विभागों के बीच समन्वय स्थापित करके कुपोषण की चुनौतियों का समाधान किया जा रहा है।

इस मिशन के अंतर्गत सामुदायिक जुड़ाव, संपर्क, व्यवहार परिवर्तन और प्रचार जैसे कार्यकलापों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने तथा स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और प्रतिरक्षा में सुधार के लिए नई कार्यनीतियां बनाई गई है। यह मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/ मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि दुबलापन, ठिगनापन, एनीमिया और अल्प वजन की व्यापकता को कम किया जा सके।

जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर कुपोषण के अंतर-पीढ़ीगत चक्र को हराने के लिए बच्चों (6 माह से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को पिछले वर्ष संशोधित और उन्नत किया गया है। पुराने मानदंड मुख्यतः कैलोरी-विशिष्ट थे; तथापि, संशोधित मानदंड पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में अधिक व्यापक और संतुलित हैं, जो आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित हैं, जो गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करते हैं।

सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने तथा महिलाओं और बच्चों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से बच्चों में गंभीर कुपोषण की रोकथाम एवं उपचार तथा इससे संबंधित रुग्णता एवं मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) प्रोटोकॉल जारी किया है।

***